1. प्रस्तावना

दिल्ली पुलिस, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) की दो करोड़ से अधिक जनसंख्या और 1483 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर अधिकार रखने वाली देश की सबसे बड़ी महानगरीय पुलिस बल है। दिल्ली पुलिस की प्राथमिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां कानून को निष्पक्ष रूप से बनाए रखना और लागू करना हैं; जीवन सुरक्षा, स्वतंत्रता, संपत्ति, मानवाधिकारों, और जनता के सदस्यों की गरिमा सार्वजनिक व्यवस्था को बढ़ावा देना और संरक्षित करना; सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, महत्वपूर्ण अधिष्ठापन और प्रतिष्ठानों आदि की बर्बरता के खिलाफ, हिंसा या किसी भी तरह के हमले के खिलाफ रक्षा करना; सड़कों पर यातायात को नियंत्रित और विनियमित करना; और भारत के वीआईपी, वीवीआईपी और विदेशी गणमान्यों के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाना और क्रियान्वयन करना है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 एए के अनुसार, 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम के तहत, दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय (गृ.मं.) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस के समग्र कामकाज के लिए दिल्ली पुलिस का नेतृत्व पुलिस आयुक्त द्वारा किया जाता है। दिल्ली पुलिस में कानून एवं व्यवस्था नीति सहित विभिन्न इकाइयाँ (प्रादेशिक पुलिस जिले और वहां के पुलिस स्टेशन), सिक्योरिटी यूनिट, पीसीआर इकाई, संचालन और संचार इकाई, विशेष प्रकोष्ठ, यातायात, सशस्त्र पुलिस बटालियन आदि है। दिल्ली पुलिस का संगठन चार्ट अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

1.1 वित्तीय विवरण

2013-14 से 2018-19 के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा बजट आवंटन और वास्तविक व्यय चार्ट 1.1 में दिया गया है।

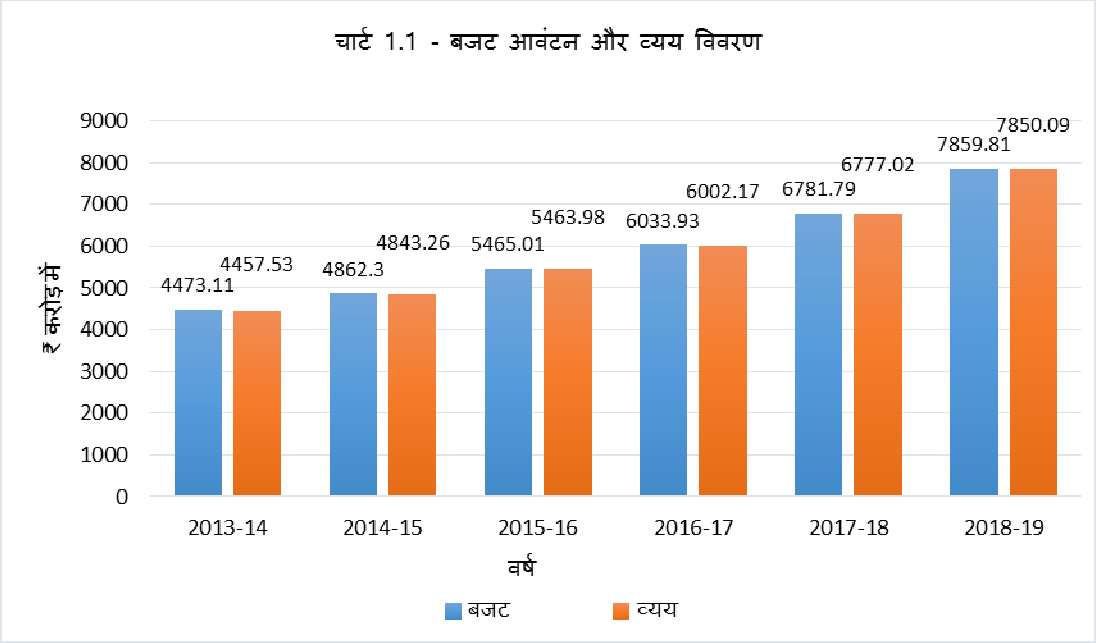

स्रोतः दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:-

- दिल्ली पुलिस अपने मानव संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रही है।
- दिल्ली पुलिस हथियार, वाहन, संचार, तकनीकी व अन्य उपकरणों की आवश्यकता तथा अपेक्षित मदों की खरीद में मितव्ययिता का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्धारण कर रही है।
- दिल्ली पुलिस उपलब्ध और खरीदे गए हथियारों, वाहन, संचार, तकनीकी और अन्य उपकरणों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से बनाए रखती है और उनका उपयोग करती है।
- पुलिस स्टेशनों और पुलिस आवासों में भौतिक आधारभूत संरचना पर्याप्त है।

1.3 लेखापरीक्षा मापदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदंडों के मुख्य स्रोत निम्नलिखित थे:-

- दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978
- दिल्ली पुलिस मैनुअल/नियमावली-1980
- दिल्ली पुलिस के लिए लागू पंजाब पुलिस नियम।
- वार्षिक कार्य योजना
- पुलिस अनुसंधान और विकास मानक ब्यूरो (बीपीआरएण्डडी)

- सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.)
- गृह मंत्रालय/दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आदेश और परिपत्र।
- दिल्ली पुलिस पर लागू कोई अन्य नियम और विनियम

1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रवेश सम्मेलन (अगस्त 2018) के साथ शुरू हुई, जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, क्षेत्र, उद्देश्य और मानदंड दिल्ली पुलिस को स्पष्ट किए गए थे। निष्पादन लेखा परीक्षा में मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था पुलिस (क्षेत्रीय पुलिस जिले[1]), सिक्योरिटी यूनिट, पीसीआर, संचालन और संचार, विशेष सेल, प्रावधान और रसद, आईटी सैल और पुलिस मुख्यालय के रिकॉर्ड की विस्तृत सूचना और परीक्षण 2013-14 से 2018-19 तक छः साल की अवधि के लिए शामिल थी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस के 14 क्षेत्रीय पुलिस जिलों में से, छः जिलों को सरल यादृच्छिक नमूना विधि (पैराग्राफ 4.1 में विस्तार से चर्चा की गई) का उपयोग करके क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण-जांच के लिए चुना गया था। इन छः जिलों के भीतर, सभी 72 पुलिस स्टेशनों को निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में दस्तावेजों की जाँच, आंकडो का संग्रह और विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करना, पूछताछ के मुद्दे, लेखापरीक्षा प्रश्नों के लिए इकाइयों की प्रतिक्रिया, संयुक्त भौतिक सत्यापन और फोटोग्राफिक साक्ष्य शामिल है। जवाब, जहां से भी प्राप्त हुए, को उपयुक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

[1] सम्पूर्ण रा.रा.क्षे. दिल्ली को भौगोलिक रूप से दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे तीन तीन रेंजों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक पुलिस रेंज को आगे दो से तीन पुलिस जिलों में विभाजित किया गया है।